

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

अपील सं. 05/2018

अनवान:-

- 1 सावित्रीदेवी पत्नी गिरधारी लाल जाति जाट सा. खोथवाली तह0 पीलीबंगा।
- 2 राजेश्वरी पत्नी मंगतूराम जाति ब्राह्मणसा.0 52 एलएनपी तह0 पदमपुर।
- 3 भावना पत्नी मैना राम जाति जाट सा. घमूडवाली तह0 पदमपुर।
- 4 तेजभान पुत्र बुधराम जाति अग्रवाल सा. 33 एलएनपी तह0 पदमपुर।
- 5 दर्शन कुमार पुत्र तेजभान जाति अग्रवाल सा0 39 एलएनपी तह. पदमपुर।
- 6 राकेश कुमार पुत्र तेजभान जाति अग्रवाल सा0 39 एलएनपी तह. पदमपुर।
- 7 सविता पत्नी राकेश कुमार जाति अग्रवाल सा0 39 एलएनपी तह. पदमपुर।
- 8 राजरानी पत्नी दर्शन कुमार जाति अग्रवाल सा0 39 एलएनपी तह. पदमपुर।
- 9 सुनीता पत्नी पवन कुमार जाति अग्रवाल सा0 39 एलएनपी तह. पदमपुर।



बनाम

तहसीलदार पीलीबंगा जरिये राजस्थान सरकार।

अपीलांट

रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध इन्तकाल सं0 359 दिनांक 07.06.17 ।

- उपस्थित:-
- 1 श्री इन्द्राज गोदारा अभिभाषक अपीलांट ।
 - 2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णय:—

दिनांक: —30.01.2018

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खातेदार गुरदेव कौर पत्नी जंगीरसिंह, बीकर सिंह, गुरमेलसिंह पि. जंगीर सिंह ने अपनी खातेदारी भूमि में से चक 7 बीएलडब्ल्यू प0नं0 39/245 कि0नं0 11 ता 14,17 ता 24 कुल 3.036 है0 भूमि को गैर मुमकिन ओद्योगिक में परिवर्तन करवा लिया जिसका इन्तकाल नं. 359 स्वीकृत किया गया। गुरदेवकौर आदि द्वारा उक्त परिवर्तित भूमि को 11 अलग अलग बैयनामों से बेचान इन्द्रजीत बगैरा को कर दिया । इन्द्रजीत बगैरा ने अपनी खरीद शुद्धा 3.036 है0 भूमि 25.7.13 को अपीलांटस ने जरिये बैयनामा खरीद लिया । अपीलाधीन इन्तकाल के कालम नं. 9 में मात्र गैर मुमकिन उद्योग कर दिया जिसमें खातेदार गुरदेवकौर बगैरा का नाम दर्ज ना कर अहम कानूनी भूल की है। क्योंकि अपीलांटस के हक अपीलाधीन

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेसपो की तलबी जारी की गयी। रेसपो की ओर से श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांटस ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही तर्क किया है कि कृषि से अकृषि (ओद्योगिक) का संपरिर्तन होने पर अपीलाधीन इन्तकाल में गै0मु0 उद्योग के साथ खातेदार का नाम अंकित नहीं किया गया है। जो कि विधि अनुसार नहीं है। चूंकि अपीलांटस द्वारा यह परिवर्तित भूमि पूर्व खातेदार गुरदेव कौर आदि द्वारा इन्द्रजीत आदि को बेचान की गयी भूमि इन्द्रजीत बगैरा से जरिये बैयनामा खरीद ली गयी है। इसलिए पूर्व खातेदार का नाम गै0मु0 उद्योग के साथ दर्ज नहीं होने से अपीलांट के हित प्रभावी हो रहे है। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त कर गै0मु0 उद्योग के साथ अपीलांट का नाम दर्ज किया जावे। बहस के समर्थन में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ 6(26) रेव-6/2014 /33 जयपुर दिनांक 06.10.16 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलांट कथनों का विरोध करते हुए अपील अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उसके साथ सलंगन रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के सलंगन बैयनामा फोटो प्रति दिनांक 25.7.13 से सिद्ध है कि प्रश्नगत आराजी अपीलांट द्वारा खरीद की गयी है। इसलिए प्रा0पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी का कृषि से ओद्योगिक परिवर्तन हुआ है। जिसका अपीलाधीन इन्तकाल सं0 359 दर्ज हुआ जिसमें मात्र गै0मु0 उद्योग अंकित कर दिया उसके साथ खातेदार का नाम अंकित नहीं किया है। परिवर्तित भूमि के संबंध में इन्तकाल दर्ज करने बाबत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ 6(26) रेव-6/2014 /33 जयपुर दिनांक 06.10.16 द्वारा व्यवस्था दी गयी है। किन्तु चुनौतीग्रस्त इन्तकाल दर्ज करते समय उक्त अधिसूचना का मण्टव्य समझने में राजस्व अधिकारियों द्वारा भूल की गयी है। रूपान्तरित भूमि में रूपान्तरकार (खातेदार) के नाम का लोप करना उक्त अधिसूचना में निर्देशित नहीं किया है। जबकि चुनौतीग्रस्त इन्तकाल दर्ज करते समय खातेदार /रूपान्तरकार का नाम विलोपित कर दिया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन इन्तकाल में मात्र गै0मु0 उद्योग अंकित कर इन्तकाल स्वीकृत करना कानूनी भूल है। जिसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इस कारण अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इन्तकाल सं. 359 चक 7 बीएलडब्ल्यु निरस्त किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ 6(26) रेव-6/2014 /33 जयपुर दिनांक 06.10.16 के अनुसरण में इन्तकाल सं0 359 में गै0मु0 उद्योग के साथ रूपान्तरकार (खातेदार) का नाम अंकित किया जावे व तत्पश्चात् क्रेता इन्द्रजीत बगैरा व उसके बाद (अपीलांट) के नाम गै0मु0 उद्योग के साथ उसका नाम भी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार पीलीबंगा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को भरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रकाश चन्द्र चौधरी)